न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 143/2019

देसराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोडा उम्र 62 वर्ष निवासी मकान नम्बर एफ 9 अम्बिका सिटी, श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरबक्श सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति अरोड़ा सिख उम्र 50 वर्ष निवासी वी पी ओ चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– चक 26 जी जी तह. व जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 9 व 8 के बीच में पत्थरगढी करके, निशानदेही देकर सही जगह पर बट किलवाये जाने हेतु

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–02.12.2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषिभूमि वाके चक 26 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 में स्थित हैं। इसके साथ मुरब्बा नम्बर 8 लगता है प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर. 9 की पत्थर लाईन बट थी उसको मुरब्बा नम्बर 8 के काश्तकार ने धीरे धीरे काश्त करते हुए बट को मुरब्बा नम्बर 9 के अन्दर धकेल दिया था इसलिए प्रार्थी ने पूर्व में निर्धारित फीस जमा करवाकर सीमा ज्ञान करवाकर सही जगह बट डलवाई जाने का आवेदन पत्र दिनांक 03–05–2018 को दिया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर अदालतवाला ने दिनांक 23–05–2018 को तहसीलदार,श्रीगंगानगर को निर्देश दिये थे । यह कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अदालतवाला के आदेश की पालना में सीमाज्ञान तो करवा दिया लेकिन निशान देकर पत्थर लाईन पर बट नहीं निकाली है बट निकालने के लिए धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये है । इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायहित में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया जान आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 26 जी जी के मुरब्बा नम्बर 9 व 8 के मध्य में पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी तहसीलदार को दिया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 02.11.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी देसराज द्वारा चक 26 जी जी के मुरब्बा नम्बर 9 व 8 के मध्य पत्थरगढी करवाने के लिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 गुरबक्श सिंह व अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया है। चक 26 जी जी के मुरब्बा नम्बर 8 का रकबा (जिसकी पत्थरगढी करवाने का प्रा०पत्र पेश किया गया है), संयुक्त खातेदारी है, जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के अतिरिक्त 5 अन्य सहखातेदारान हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार 2. जटो बाई पत्नी श्री बलवंत सिंह जाति अरोड़ा सा० देह खातेदार 3. मनजीत सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति अरोड़ा सा० देह खातेदार 4. सतनाम कौर पत्नी श्री गुरबक्श सिंह जाति अरोड़ा सा. देह खातेदार 5. सतनाम सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक ही सहखातेदार (अप्रार्थी संख्या) को ही पक्षकार बनाया गया है, उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी होने के कारण सभी सहखातेदारान का उक्त रकबा के इन्च इन्च पर हक या हिस्सा है इसलिए सभी सहखातेदारान आवश्यक पक्षकारान है, आवश्यक पक्षकारान के अभाव में तथा पक्षकारान के कुसंयोजन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा उचित आदेश पारित किया जाकर सीमा ज्ञान करवाया जा चुका है, मगर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि संयुक्त खाता में है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक ही सहखातेदार को ही पक्षकार बनाया गया है, उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी होने के कारण सभी सहखातेदारान का उक्त रकबा के इन्च इन्च पर हक या हिस्सा है, समस्त आवश्यक पक्षकारान के अभाव में प्रकरण का निर्णय न्यायिक दृष्टि से किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2020 को लिखाया जाकर अधिवक्तागण को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner